O/o CE (EITC)
Receipt No. ......
Date 18 MAY 2020
DGM (IT) / SE (O)
EE.....web
Section ....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय कार्यपालक निदेशक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 04 / 2020 दिनांक 06.02.2020

श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी — अपीलार्थी
एच.आई.जी.–1 / 679
सेक्टर–29 अटल नगर
रायपुर (छ.ग.)
पिन– 492002

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती — प्रतिअपीलार्थी
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

–:: आदेश ::–

(दिनांक 15/05/2020 को पारित)

अपीलार्थी श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी रायपुर की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 04 / 2020 दिनांक 06.02.2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री बाजपेयी के द्वारा आवेदन दिनांक 09.12.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी होल्डिंग कंपनी से निम्न जानकारी चाही गई है :–

Attested Photo copy of Complete case file of Shri Rajesh Tanti for change in his cadre from Assistant Engineer to Assistant Manager,

(3) अपील सूचना पत्र क्रमांक 09 दिनांक 19.02.2020 के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई दिनांक 04.03.2020 को निर्धारित कर, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

(4) निर्धारित तिथि को अपीलार्थी श्री बाजपेयी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (Deemed Public Information Officer) उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में गुण दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (Deemed Public Information Officer) द्वारा निर्धारित तिथि को मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंडिका 02/–टीप में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज कुल 07 पृष्ठों में उपलब्ध होने के कारण धारा 7(1) के अंतर्गत रूपये 2/–प्रति पृष्ठ के दर से कुल रूपये 14/–मात्र का अभिलेख शुल्क का भुगतान कर, जानकारी प्राप्त करने बाबत्, आवेदक श्री बाजपेयी को निर्धारित समयावधि के भीतर उनके द्वारा दिये गये पते पर पत्र क्रमांक 94 दिनांक 04.01.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है। किन्तु आवेदक द्वारा आज पर्यन्त तक इस कार्यालय में अभिलेख शुल्क रूपये 14/–मात्र का भुगतान नही किया गया है, अतः आवेदक को दस्तावेज उपलब्ध नही करायी गई है।

(6) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, प्रतिअपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन तर्क कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से वह संतुष्ट नही है।

(iii) उक्ताशय के संबंध में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (Deemed Public Information Officer) का तर्क कि आवेदक श्री बाजपेयी को धारा 7(1) के अंतर्गत निर्धारित (रूपये 2/–प्रति पृष्ठ के दर से) कुल रूपये 14/–मात्र का अभिलेख शुल्क का भुगतान करने बाबत निर्धारित समय–सीमा के भीतर अवगत कराया गया है। किन्तु आवेदक द्वारा आज पर्यन्त तक निर्धारित अभिलेख शुल्क का भुगतान इस कार्यालय में नही किया गया है। वस्तुतः उन्हे दस्तावेज उपलब्ध नही करायी गई है। अतः आवेदक का अपील कथन कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से वे संतुष्ट नही है पूर्णतः निराधार है।

(7) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंड़िका 2/–टीप में वांछित जानकारी के संबंध में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा कंड़िका 05/–टीप में निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यवाही कर, अपीलार्थी को धारा 7(1) के तहत (कुल 07 पृष्ठों की दस्तावेज हेतु) अभिलेख शुल्क रूपये 14/–मात्र का भुगतान कर, जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करने बाबत् अवगत करायी गई है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा आज पर्यन्त तक जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में अभिलेख शुल्क का भुगतान नही किया गया है। अतः उन्हे जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नही करायी गई है।

(i) कंडिका 05/–टीप में जनसूचना अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह पूर्णतः विधिसंगत है, जो स्वीकार योग्य है। अतः प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना शेष नही है।

(ii) जहॉ तक अपील का प्रश्न है उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी श्री बाजपेयी प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी (होल्डिंग कंपनी) के कार्यालय में धारा 7(1) के अंतर्गत निर्धारित अभिलेख शुल्क रूपये 14/–मात्र का भुगतान/जमा कर, उक्त जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर सकते है।

लेख है कि छ0 ग0 राज्य में नोबल कोरोना वायरस (COVID –19) के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक निरंतर लॉकडाउन की स्थिति थी। दिनांक 03.05.2020 से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति कार्यालय में 30 से 50% तक होने से दैनंदिनी व समय–सीमा प्रकरण संबंधी कार्य प्रभावित हुए है। ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार से संबंधित प्रथम अपील प्रकरण में कार्यवाही समय–सीमा में नही की जा सकी है।

अतएव कंडिका 07/–टीप के पैरा (ii) के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पं. क्र. 04/2020 दिनांक 06.02.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

15/05/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –04/2020/21 रायपुर, दिनांक 15/05/2020

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) श्री हर्ष वर्धन बाजपेयी एच.आई.जी.–1/679 सेक्टर–29, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492002 को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक
अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

15/5/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700